The Academic
International Journal of Multidisciplinary Research

An Online Peer Reviewed / Refereed Journal
Volume 3 | Special Issue 3 | October 2025
ISSN: 2583-973X (Online)
Website: www.theacademic.in

मध्यस्थ दर्शन सह-अस्तित्ववाद में परिवार मूलक स्वराज्य व्यवस्था– एक विकल्प

प्रणेता श्री ए. नागराज जी

श्रीमती गौरीकान्ता साहू
शोध विधार्थी, दर्शन और धर्मिक अध्ययन स्कूल, एल जे विश्वविद्यालय, अहमदाबाद, गुजरात
Email- gksahu09jv@gmail.com , gaurikanta.phd22@ljku.edu.in
डॉ सुनील छानवाल
सहायक प्राध्यापक, दर्शन और धर्मिक अध्ययन स्कूल, एल जे विश्वविद्यालय, अहमदाबाद, गुजरात,
Email- sunilchhanwal@gmail.com

DOI : https://doi.org/10.5281/zenodo.17398783

ARTICLE DETAILS

Research Paper

Accepted: 03-09-2025

Published: 19-10-2025

Keywords:

मध्यस्थ दर्शन, सह-अस्तित्ववाद, परिवार मूलक स्वराज्य व्यवस्था, दस सोपानीय व्यवस्था, ए. नागराज, अखंड समाज , सार्वभौम व्यवस्था।

ABSTRACT

आधुनिक समाज अनेक प्रकार के संकटों से घिरा हुआ है , ऐसे समय में ए. नागराज द्वारा प्रतिपादित मध्यस्थ दर्शन सह-अस्तित्ववाद अस्तित्व के यथार्थ अनुभव पर आधारित है ,यह मानव जीवन के हर स्तर पर समाधान, समृद्धि, अभय और सह-अस्तित्व की दिशा में मार्गदर्शन करता है। इस दर्शन में परिवार को व्यवस्था की मूल इकाई माना गया है, जहाँ से अखंड समाज और सार्वभौम व्यवस्था की संरचना आरंभ होती है। मध्यस्थ दर्शन का परिवार मूलक स्वराज्य व्यवस्था का दस सोपानीय व्यवस्था मॉडल जमीनी स्तर से शुरू होकर धीरे -धीरे ऊपरी स्तरों तक पहुंचने का प्रस्ताव है जो मनुष्य, समाज और प्रकृति के सह-अस्तित्व की वास्तविक जीवन दृष्टि प्रस्तुत करता है। जिससे व्यवस्था में पारदर्शिता, जवाबदेही और न्याय सुनिश्चित होता है। मध्यस्थ दर्शन में मनुष्य को एक समझदार, संज्ञानशील, और कर्तव्यनिष्ठ इकाई के रूप में देखा गया है तथा स्वराज्य व्यवस्था का आधार परिवार है, – जिसमें संवाद, समाधान, सहभागिता और सह-अस्तित्व का ढाँचा समाज को स्थायित्व, न्याय

और समृद्धि की ओर ले जाता है। इस दर्शन का अध्ययन और अनुप्रयोग व्यक्तिगत, पारिवारिक और सामाजिक जीवन में सकारात्मक परिवर्तन ला सकता है। अंततः यह दर्शन मानवीय गरिमा, स्वतंत्रता और न्याय के आदर्शों को साकार करने का एक व्यावहारिक और टिकाऊ तरीका प्रस्तुत करता है।प्रस्तुत शोध पत्र में परिवार मूलक स्वराज्य व्यवस्था के विविध आयामों का विस्तृत विश्लेषण प्रस्तुत किया गया है।

1.प्रस्तावना

1.1.मध्यस्थ दर्शन की भूमिका:

आधुनिक समाज अनेक प्रकार के संकटों से घिरा हुआ है, चाहे वह पारिवारिक विघटन हो, सामाजिक विषमता, मूल्यहीनता या मानसिक तनाव। इन समस्याओं की जड़ में मनुष्य के अस्तित्व और संबंधों की अधूरी समझ दिखाई देती है। ऐसे समय में ए. नागराज द्वारा प्रतिपादित मध्यस्थ दर्शन एक नई दिशा देता है, जो मनुष्य को संपूर्णता में समझने और समाज-व्यवस्था को मूल्याधारित व सह-अस्तित्वपूर्ण रूप में व्यवस्थित करने की दिशा में मार्गदर्शक बनता है।

मध्यस्थ दर्शन का मूल प्रस्ताव है – "अस्तित्व सह-अस्तित्व है"। इसमें मनुष्य की चार प्रमुख आकांक्षाओं – समाधान, समृद्धि, अभय और सह-अस्तित्व – को आधार बनाकर जीवन और समाज की संपूर्ण रूपरेखा प्रस्तुत की गई है।

1.2.**परिवार का केंद्रीय स्थान**:

मध्यस्थ दर्शन के अनुसार परिवार मानवीय चेतना, मूल्यों और संबंधों का केंद्र है जो मानव जीवन के हर स्तर पर समाधान, समृद्धि, अभय और सह-अस्तित्व की दिशा में मार्गदर्शन करता है।

जीवन विद्या के अनुसार व्यक्ति के विकास में तीन मुख्य चरण होते हैं – संबंधो का प्रयोजन, संबंधों की पहचान व मूल्यो का निर्वाह करना –जो परिवार से विश्व परिवार तक सूत्रित होते है।

1.3.स्वराज्य की अवधारणा:

स्वराज्य का पारंपरिक अर्थ है – स्वयं पर शासन। लेकिन मध्यस्थ दर्शन के अनुसार यह केवल व्यक्तिगत नहीं, बल्कि सामाजिक और पारिवारिक स्तर पर भी कार्य करता है। इसमें "शासन" का अर्थ नियंत्रण नहीं, बल्कि सातों संबंध को पहचानकर उनमें निहित प्रयोजन अनुरूप दायित्व कर्तव्यों का निर्वाह करना है।

इस दर्शन में "दस परिवारों" का एक समूह एक मूल इकाई मानी जाती है, जो स्वावलंबी और सहयोगी ढंग से कार्य करता है। यह समूह स्थानीय स्तर पर पाँच समितियाँ बनाता है –

1. उत्पादन-कार्य समिति ,
2. विनिमय-कोष समिति,
3. शिक्षा-संस्कार समिति ,
4. स्वास्थ्य-संयम समिति
5. न्याय-सुरक्षा समिति

प्रत्येक समिति का कार्य दायित्व सहभागिता पर आधारित होता है और निर्णय प्रक्रियाएं संवाद व सहमति से संचालित होती हैं। इस व्यवस्था का उद्देश्य सामूहिक समाधान, समृद्धि, अभय और सह-अस्तित्व की उपलब्धि है।

2. परिवार मूलक स्वराज्य व्यवस्था की प्रासंगिकता और उद्देश्य:

मध्यस्थ दर्शन सहअस्तित्ववाद में परिवार को केंद्र में रखते हुए परिवार मूलक स्वराज्य व्यवस्था की अवधारणा प्रस्तुत की गई है। जिसमे परिवार के समग्र विकास और संतुलन के माध्यम से समाज के विकास की दिशा में मार्गदर्शन करती है।

"अखंड समाज का आधार ग्राम स्वराज्य है।" ग्राम स्वराज्य की मूलभूत इकाई परिवार है।" परिवार को मूल इकाई मानते हुए, मध्यस्थ दर्शन के अनुसार यदि परिवार स्तर पर व्यवस्था सुनिश्चित की जाती है, तो समाज में स्थिरता और सामंजस्य स्थापित किया जा सकता है।

"स्वराज्य का तात्पर्य न्याय- सुलभता, उत्पादन- सुलभता और विनिमय-सुलभता है।" परिवार मूलक स्वराज्य व्यवस्था में शिक्षा-संस्कार, स्वास्थ्य-संयम, उत्पादन-कार्य, विनिमय-कोष, और न्याय-सुरक्षा के पांच आयामों को व्यवस्थित रूप से संचालित किया जाना आवश्यक है। यह स्वराज्य व्यवस्था व्यक्ति, परिवार, समाज, राष्ट्र

और वैश्विक स्तर पर सामाजिक न्याय, समरसता और स्थायित्व की एक व्यापक अवधारणा को प्रस्तुत करती है।

2.1. मध्यस्थ दर्शन सहअस्तित्ववाद की परिभाषा और मूल सिद्धांत:

मध्यस्थ दर्शन सहअस्तित्ववाद समग्र दृष्टिकोण है, जिसका प्रतिपादन श्री ए. नागराज द्वारा किया गया। सहअस्तित्ववाद का तात्पर्य यह है कि अस्तित्व-सहअस्तित्व रुप में हैं और परस्पर निर्भर है। इसके अनुसार किसी भी व्यक्ति, समाज या प्रकृति के अस्तित्व का उद्देश्य अन्य सभी के साथ सह-अस्तित्व स्थापित करना और परस्पर पूरकता को समझना और प्राकृतिक व्यवस्थाओं में सामंजस्य और संतुलन को स्थापित करना है।

श्री ए. नागराज द्वारा प्रतिपादित मध्यस्थ दर्शन के मुख्य सिद्धांत

2.1.**1 सहअस्तित्व (Coexistence) का सिद्धांत:** मानव का अस्तित्व अन्य मानवों और प्रकृति के साथ सह-अस्तित्व की स्थिति में होता है। मानव-मानव और मानव-प्रकृति संबंधों का आधार सभी के अस्तित्व में परस्पर निर्भरता, प्रगति, सामंजस्य और सहयोग पर आधारित होती है।

2.1.2 उपयोगिता और तृप्ति: हर व्यक्ति की पहचान उसकी उपयोगिता से होती है, मानव की उपयोगिता ही उसका सम्मान है ।व्यक्ति की तृप्ति और संतुष्टि समाज तथा परिवार में योगदान से होती है।

मानव स्वयं में व्यवस्था में होने से परिवार और समाज की बड़ी व्यवस्था में भागीदारी निभा सकते हैं। जिससे सामाजिक व्यवस्था में संतुलन, न्याय और समरसता बनी रहती है।

2.1.3. समग्रता का सिद्धांत: मध्यस्थ दर्शन समग्र दृष्टिकोण प्रस्तुत करता है, जिसमें जीवन के सभी आयाम को संतुलित और पूरक रूप में देखा जाता है। इसका उद्देश्य परिवार से लेकर वैश्विक स्तर तक संतुलन स्थापित करना है।

(i) मानव-मानव संबंध: सहअस्तित्ववादी मानसिकता के अनुसार, मानव-मानव संबंधों का आधार परस्पर सम्मान, सहयोग, और सहभागिता है।

(ii) मानव-प्रकृति संबंध: इस दर्शन के अनुसार मानव और प्रकृति के बीच प्राकृतिक संबंध है। प्रकृति मानव के जीवन के लिए आवश्यक संसाधन प्रदान करती है । सहअस्तित्ववादी मानसिकता मानव प्रकृति के साथ प्राकृतिक नियमों यथा आवर्तनशीलता पर बल देती है।

2.2. **सहअस्तित्ववाद में परिवार की भूमिका और समाज की मूल इकाई के रूप में महत्व-**

मध्यस्थ दर्शन सहअस्तित्ववाद में- परिवार, समाज की मूल इकाई है, यह सामाजिक संरचना का आधार है । इसके माध्यम से ही व्यक्ति अपने अस्तित्व को समझता है और अपने सामाजिक और नैतिक कर्तव्यों का पालन करना सीखता है।

(i) परिवार की भूमिका: परिवार में मानव अपने कर्तव्यों और अधिकारों को समझता है। परिवार का मुख्य उद्देश्य बच्चों में मूल्य आधारित शिक्षा देना है, जिससे वे समाज के जिम्मेदार नागरिक बन सकें।

(ii) परिवार: समाज की मूल इकाई: परिवार समाज के निर्माण और विकास की नींव है। परिवार में संबंधों की पहचान और उनके निर्वहन का सही ढंग से पालन किया जाए, तो समाज में भी सामंजस्य और न्याय की स्थापना होती है।

(iii) समाज और वैश्विक स्तर पर परिवार का महत्व: परिवार मूलक स्वराज्य व्यवस्था के माध्यम से समाज में स्थिरता, न्याय, और समृद्धि स्थापित की जा सकती है, जिससे वैश्विक स्तर पर भी सहअस्तित्व और सामंजस्य की भावना का विकास होगा।

3. परिवार मूलक स्वराज्य व्यवस्था की अवधारणा:

इसमें परिवार को व्यवस्था के केंद्र में रखा गया है। स्वराज्य का अर्थ व्यक्तिगत और सामूहिक आत्मनिर्भरता, स्व-शासन और नैतिक विकास से है। इसके अनुसार संगठित समाज की नींव परिवार पर आधारित होती है और स्वराज्य तभी पूर्ण रूप से सफल हो सकता है जब समाज की सबसे छोटी इकाई परिवार,संतुलित, समृद्ध, और आत्मनिर्भर हो।

3.1 **स्वराज्य की परिभाषा और पारंपरिक दृष्टिकोण:**

स्वराज्य का शाब्दिक अर्थ है 'स्वयं का शासन'। यह एक ऐसी व्यवस्था है जिसमें प्रत्येक व्यक्ति, समाज और राष्ट्र स्वतंत्र रूप से अपने जीवन को नैतिक और व्यावहारिक आधार पर संचालित करता है।

3.2 **परिवार आधारित स्वराज्य की अवधारणा**

मध्यस्थ दर्शन सहअस्तित्ववाद के अंतर्गत परिवार को समाज की महत्वपूर्ण इकाई के रूप में स्थापित किया गया है। परिवार न केवल व्यक्तिगत विकास और सामाजिक सहयोग का केंद्र है, बल्कि यह शिक्षा, स्वास्थ्य, उत्पादन, विनिमय, और न्याय जैसी व्यवस्थाओं का भी केंद्र है। परिवार के माध्यम से ही समाज की समग्र व्यवस्था का संचालन और नियमन किया जा सकता है। मध्यस्थ दर्शन दायित्व- कर्तव्यों से जोड़ता है। परिवार

और समाज के प्रत्येक सदस्य का एक स्वाभाविक दायित्व होता है – जैसे पालन-पोषण, उत्पादन में सहयोग, न्यायपूर्ण व्यवहार आदि।

परिवार के भीतर – माँता-पिता, पति-पत्नी, भाई-बहन, आदि संबंध – सभी को समझदारी और न्याय के आधार पर निभाना ही स्वराज्य की नींव है।

जब प्रत्येक व्यक्ति अपने कर्तव्य को समझकर निभाता है, तब किसी बाह्य नियंत्रण या दंड की आवश्यकता नहीं होती। यही कर्तव्य मूलक अनुशासन मध्यस्थ दर्शन की आत्मा है।

(i) शिक्षा और संस्कार व्यवस्था में परिवार की भूमिका: "जागृति का मूल कार्यक्रम शिक्षा- संस्कार ही है ।" परिवार को शिक्षा का पहला और सबसे महत्वपूर्ण केंद्र माना गया है। जहाँ बच्चे को प्रारंभिक शिक्षा और संस्कार मिलते हैं, जो उसके व्यक्तित्व निर्माण और समाज में उसकी भूमिका को निर्धारित करते हैं।

(ii) **स्वास्थ्य और संयम व्यवस्था में परिवार की भूमिका:** परिवार ही वह स्थान है जहाँ एक व्यक्ति का मानसिक, शारीरिक और भावनात्मक स्वास्थ्य सुनिश्चित किया जाता है। परिवार को स्वास्थ्य और संयम का केंद्र बनाकर, व्यक्ति को यह सिखाया जाता है कि वह संतुलित और संयमित जीवन जिए, जिससे समाज और प्रकृति के साथ सामंजस्य स्थापित हो सके।

(iii) **उत्पादन और कार्य व्यवस्था में परिवार की भूमिका**: मध्यस्थ दर्शन के अनुसार, हर व्यक्ति की तृप्ति उसके कार्य और उपयोगिता से होती है। उत्पादन केवल भौतिक वस्तुओं का उत्पादन नहीं है, बल्कि इसमें ज्ञान, कौशल और सेवाओं का उत्पादन भी शामिल है।

(iv) **विनिमय और कोष व्यवस्था में परिवार की भूमिका**: मध्यस्थ दर्शन में, परिवार अपने संसाधनों का प्रबंधन करता है और इसे समाज में उपयोगी बनाने के लिए वितरित करता है जिससे समाज के आर्थिक और सामाजिक ढांचे में स्थिरता और समाज में संतुलन स्थापित होता है।

(v) **न्याय और सुरक्षा व्यवस्था में परिवार की भूमिका**:मध्यस्थ दर्शन में, परिवार न्याय और सुरक्षा का आधारभूत केंद्र है।

"न्याय-संबंधों की पहचान सहित मूल्यों का निर्वाह मूल्यांकन फलन में परस्पर तृप्ति व उभय तृप्ति, वर्तमान में विश्वास। "संबंधो व मूल्यों का पहचान व निर्वाह क्रिया ।" परिवार के सदस्यों के बीच संवाद और सहभागिता से न्याय होता है।

4. **परिवार को व्यवस्था की मूल इकाई के रूप में पहचानना**: परिवार में व्यक्ति अपने अस्तित्व, उपयोगिता, और संतुलन को समझता है।

मध्यस्थ दर्शन सहअस्तित्ववाद के अनुसार-"परिवार ही मूलतः सभा के रूप में, सभा ही परिवार के रूप में वैभवित होता है। निर्णय लेने के रूप में सभा कहलाता है। क्रियान्वयन करने के रूप में परिवार कहलाता है । इस प्रकार परिवार और सभा अविभाज्य होना पाया जाता है।"

4.1. **परिवार में संबंध, न्याय और निर्णय प्रक्रिया**: जब प्रत्येक व्यक्ति अपने संबंधों को सही ढंग से पहचानता है तो परिवार में व्यवस्था और न्यायपूर्ण व्यवहार सुनिश्चित होता है। न्याय का मूल आधार हर व्यक्ति अपने रिश्तों और जिम्मेदारियों को निभाए, जिससे सभी सदस्यों के हितों की रक्षा हो।

4.2 **परिवार सभा और उसमें संवाद, सर्वसम्मति निर्माण की भूमिका**

परिवार सभा एक ऐसी प्रक्रिया है जहाँ परिवार के सभी सदस्य एक साथ बैठकर विचार-विमर्श करते हैं, निर्णय लेते हैं, और आपसी समस्याओं का हल निकालते हैं। परिवार सभा का उद्देश्य संवाद और विचार-विमर्श के माध्यम से सर्वसम्मति बनाना होता है। इस प्रक्रिया में सभी सदस्यों को अपनी बात रखने का समान अधिकार होता है, और प्रत्येक सदस्य की बातों को ध्यान से सुना जाता है।

4.3 **पारिवारिक निर्णय प्रक्रिया की संरचना और प्रभाव**

इस प्रक्रिया में समस्या को सभी सदस्यों के सामने रखा जाता है, हर सदस्य अपनी राय व्यक्त करता है। इसके बाद संवाद के माध्यम से सभी संभावनाओं का विश्लेषण किया जाता है और सर्वसम्मति से निर्णय लिया जाता है।इससे सभी सदस्यों में एकता, सहयोग, और पारस्परिक सम्मान की भावना विकसित होती है।

4.4 **परिवार सभा से ग्राम सभा तक का विस्तार**

परिवार समूह सभा से ग्राम सभा तक की व्यवस्था: परिवार सभा का विस्तार ग्राम सभा तक किया जा सकता है। जिस प्रकार परिवार में निर्णय प्रक्रिया होती है, उसी प्रकार ग्राम सभा में भी सामूहिक निर्णय प्रक्रिया होती है। ग्राम सभा परिवार सभा के सिद्धांतों पर आधारित होती है, जहाँ संवाद, सहभागिता, और सर्वसम्मति के आधार पर निर्णय लिए जाते हैं।

ग्राम सभा में शिक्षा, स्वास्थ्य, उत्पादन, विनिमय, और न्याय की समिति आधारित कार्यप्रणाली:

ग्राम सभा की कार्यप्रणाली में शिक्षा, स्वास्थ्य, उत्पादन, विनिमय, और न्याय जैसी महत्वपूर्ण व्यवस्थाओं का प्रबंधन समिति आधारित प्रणाली के माध्यम से किया जाता है। प्रत्येक समिति का कार्यक्षेत्र स्पष्ट रूप से निर्धारित होता है, और हर समिति अपने क्षेत्र से संबंधित समस्याओं को हल करने का प्रयास करती है।

5. परिवार मूलक स्वराज्य के सोपान और उद्देश्य

परिवार मूलक स्वराज्य की अवधारणा एक ऐसी सामाजिक और राजनीतिक व्यवस्था का निर्माण करती है, जो परिवार को केंद्र में रखकर समाज, गाँव, और राज्य के संचालन का ढांचा प्रदान करती है। परिवार मूलक स्वराज्य के विभिन्न सोपानों का मुख्य उद्देश्य परिवार और समाज में स्थिरता, संतुलन, और समग्र समाधान सुनिश्चित करना है।

5.1 परिवार मूलक स्वराज्य व्यवस्था दस सोपानीय व्यवस्था के विभिन्न सोपान-

मध्यस्थ दर्शन में परिवार से लेकर विश्व परिवार तक की एक दस-सोपानीय व्यवस्था का विस्तृत प्रस्ताव है जो परिवार मूलक स्वराज्य की आधारशिला है। यह व्यवस्था जमीनी स्तर से शुरू होकर क्रमशः ऊपरी स्तरों तक पहुंचती है और हर स्तर पर लोकतांत्रिक मूल्यों को बनाए रखती है।

" परिवार मूलक स्वराज्य व्यवस्था अपने आप मे समझदारी संपन्न अनेक परिवारों की संयुक्त व्यवस्था है प्रत्येक परिवार में उपकार प्रवृत्ति होने के आधार पर स्वत्व स्वतंतता अधिकार स्वयं स्फूर्त होता है। इसमें जनप्रतिनिधि किसी भी प्रकार से धन व्यय के बिना उपलब्ध होना एक महिमा सम्पन्न घटना है जिसकी आवश्यकता है ।"प्रत्येक व्यक्ति एवं संस्थायें दश सोपनीय व्यवस्था में अभ्युदयार्थ भागीदार होना जागृति है। साथ ही उन्हीं स्थितियों में व्यक्ति एवं संस्थायें में, से, के लिये दायित्व व कर्त्तव्य निर्वाह करना सहज है। संस्था ही व्यवस्था है, व्यवस्था ही प्रबुद्धता है, प्रबुद्धता ही विधि, नीति व पद्धति है; विधि, नीति व पद्धति ही संस्था है। संस्था की प्रथमावस्था परिवार सभा, द्वितीयावस्था परिवार समूह सभा, तृतीय ग्राम मोहल्ला परिवार सभा, चतुर्थ ग्राम मोहल्ला समूह परिवार सभा, पाँचवाँ क्षेत्र परिवार सभा, छठा मंडल परिवार सभा, सातवाँ मडंल समूह परिवार सभा, आठवाँ मुख्य राज्य परिवार सभा, नवाँ प्रधान राज्य परिवार सभा, दसवाँ विश्व परिवार राज्य परिवार सभा, यही अखण्ड समाज की दश सोपानीय व्यवस्था स्वरूप है। अखण्डता ही समाज का प्रधान लक्षण है।"

पहला सोपान परिवार सभा है जो सबसे छोटी लेकिन सबसे महत्वपूर्ण इकाई है। यहीं से लोकतंत्र, न्याय और सहयोग की शिक्षा शुरू होती है।

दूसरा सोपान परिवार समूह सभा है जहाँ कई परिवार मिलकर अपने सामान्य हितों पर चर्चा करते हैं और सामूहिक निर्णय लेते हैं।

तीसरा सोपान ग्राम-मोहल्ला सभा है जो स्थानीय समुदाय के स्तर पर कार्य करती है। यहाँ स्थानीय समस्याओं पर विचार होता है और उनका समाधान खोजा जाता है।

चौथा सोपान ग्राम समूह सभा है जहाँ कई गांवों या मोहल्लों के प्रतिनिधि मिलकर व्यापक क्षेत्र की समस्याओं पर विचार करते हैं।

पांचवां सोपान क्षेत्र सभा है जो एक व्यापक भौगोलिक क्षेत्र को संभालती है।

छठा सोपान मंडल सभा है जो प्रशासनिक इकाई के रूप में कार्य करती है।

सातवां सोपान मंडल समूह सभा है जहाँ कई मंडलों के प्रतिनिधि मिलते हैं।

आठवां सोपान मुख्य राज्य सभा है जो राज्य स्तर पर कार्य करती है।

नौवां सोपान प्रधान राज्य सभा है जो राष्ट्रीय स्तर पर कार्य करती है।

दसवां और अंतिम सोपान विश्व परिवार सभा है जो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर मानवता के सामान्य हितों की देखभाल करती है।

इस दस सोपानीय व्यवस्था की सबसे बड़ी विशेषता यह है कि हर स्तर पर प्रतिनिधित्व नीचे के स्तर से चुनकर आता है और ऊपरी स्तर का प्रतिनिधि अपने नीचे के स्तर के प्रति जवाबदेह होता है।

पांच आयामी समिति प्रणाली

दस सोपानीय व्यवस्था के हर स्तर पर पाँच प्रमुख आयामों की समितियाँ होती हैं जो मानव जीवन के सभी पहलुओं को संभालती हैं।

"इस सभा की पहली कड़ी शिक्षा संस्कार कार्य रहेगी । शिक्षा संस्कार कार्य मे प्राकृतिक संतुलन,उद्योग वन व खनिज) जीव संतुलन, मानव न्याय संतुलन का कार्य संपादित होगा। साथ मे जलवायु संतुलन, ऋतु संतुलन, धरती संतुलन, वन खनिज संतुलन संबंधी अध्ययन करने की व्यवस्था रहेगी l"

पहली समिति शिक्षा-संस्कार समिति है जो मानवीय मूल्यों पर आधारित शिक्षा व्यवस्था का संचालन करती है। इसमें चेतना विकास मूल्य शिक्षा, कौशल विकास और जीवन कला की शिक्षा शामिल है।

दूसरी समिति स्वास्थ्य-संयम समिति है जो शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य की देखभाल के साथ स्वास्थ्य के संरक्षण और संवर्धन पर भी ध्यान देती है। संयम का मतलब है जीवनशैली में संतुलन, आहार में संयम, व्यायाम की नियमितता और मानसिक स्वास्थ्य की देखभाल।

तीसरी समिति उत्पादन-कार्य समिति है जो आवश्यकता आधारित उत्पादन और कार्य व्यवस्था का संचालन करती है। यह समिति सुनिश्चित करती है कि उत्पादन वास्तविक आवश्यकता के लिए हो तथा हर व्यक्ति को अपनी क्षमता और रुचि के अनुसार काम मिले।

चौथी समिति न्याय-सुरक्षा समिति है जो संबंधों में न्याय सुनिश्चित कर समाज की सुरक्षा का प्रबंध करती है। यह समिति विवादों का निपटारा करती है, न्याय दिलाती है और समाज में शांति बनाए रखती है।

पांचवी समिति विनिमय-कोष समिति है जो न्यायसंगत आर्थिक व्यवस्था और संसाधनों का प्रबंधन करती है। वस्तु, श्रम एवं सेवा का ही विनिमय होता है ताकि सभी को उनके योगदान का उचित मूल्य मिले और संसाधनों का उपयोग सदुपयोग हो।

5.1.1 **परिवार समूहः** परिवार समूह वह आधारभूत इकाई है, जिसमें एक से अधिक परिवारों का समूह शामिल होता है। यह समूह स्थानीय स्तर पर परिवारों के बीच आपसी सहयोग, समझदारी और सामूहिक निर्णय प्रक्रिया को प्रोत्साहित करता है।परिवार समूह का मुख्य कार्य सदस्यों के हितों की रक्षा करना, उनकी आवश्यकताओं को पूरा करना और समाज के विकास में योगदान देना होता है। इस समूह में आर्थिक, सामाजिक और सांस्कृतिक गतिविधियों का संचालन होता है, जो परिवारों के आपसी संबंधों को मजबूत करता है। परिवार समूह के स्तर पर निर्णय लेने के लिए परिवार सभा की प्रणाली अपनाई जाती है, जिसमें प्रत्येक सदस्य की भूमिका होती है और संवाद के माध्यम से सर्वसम्मति प्राप्त की जाती है।

5.1.2 ग्राम सभा: ग्राम सभा का गठन गाँव स्तर पर होता है, जिसमें गाँव के सभी परिवार शामिल होते हैं। मध्यस्थ दर्शन सहअस्तित्ववाद के अनुसार "10 परिवारों के निर्वाचित 10 समझदार सदस्य एक 'परिवार समूह सभा' का गठन किया जायेगा। ऐसे प्रत्येक 10 'परिवार समूह सभा' में से एक-एक व्यक्ति को, ग्राम- सभा के लिए निर्वाचित करेगा। इसी प्रकार 10 परिवार समूहों से निर्वाचित 10 सदस्य एक ग्राम सभा का गठन करेंगे।" यह एक व्यापक सभा होती है, जहाँ परिवार समूहों के प्रतिनिधि आपसी संवाद और विचार-विमर्श के माध्यम से गाँव की समस्याओं और आवश्यकताओं पर चर्चा करते हैं। ग्राम सभा का मुख्य कार्य शिक्षा, स्वास्थ्य, उत्पादन,

न्याय और विनिमय जैसी आवश्यक व्यवस्थाओं का प्रबंधन और नियंत्रण ,सामाजिक न्याय, सुरक्षा और ग्राम के समग्र विकास के लिए विभिन्न योजनाएँ और नीतियाँ भी निर्धारित करती है। ग्राम सभा में निर्णय लेने की प्रक्रिया भी सर्वसम्मति और संवाद पर आधारित होती है, जहाँ सभी सदस्यों को समान रूप से निर्णय प्रक्रिया में भाग लेने का अवसर मिलता है। ग्राम सभा गाँव के समग्र विकास और आत्मनिर्भरता के लिए आवश्यक कदम उठाती है, जिससे गाँव के सभी लोग लाभान्वित होते हैं।

5.1.3 **समितियों की कार्यप्रणाली**: ग्राम सभा के अंतर्गत पाँच प्रमुख समितियों का गठन किया जाता है, जो गाँव के विभिन्न कार्यक्षेत्रों में गतिविधियों का संचालन करती हैं:

(i) **शिक्षा-संस्कार समिति:** यह समिति गाँव में शिक्षा और संस्कार संबंधी गतिविधियों का संचालन करती है। इसका उद्देश्य सभी गाँववासियों को गुणवत्तापूर्ण शिक्षा प्रदान करना और नैतिक मूल्यों का विकास करना है।

(ii) **स्वास्थ्य-संयम समिति:** यह समिति गाँव में स्वास्थ्य संबंधी मामलों को देखती है। इसका कार्य है सभी को स्वास्थ्य सुविधाएँ प्रदान करना और संयमित जीवनशैली को बढ़ावा देना।

(iii) **उत्पादन-कार्य समिति**: यह समिति गाँव में कृषि, उत्पादन, और अन्य कार्यों का प्रबंधन करती है, जिससे आर्थिक समृद्धि और रोजगार के अवसर पैदा हो सकें।

(iv) **विनिमय-कोष समिति**: यह समिति गाँव के आर्थिक लेन-देन और वित्तीय प्रबंधन को देखती है, जिससे गाँव के संसाधनों का सही ढंग से उपयोग हो सके।

(v) **न्याय-सुरक्षा समिति:** यह समिति गाँव में न्याय और सुरक्षा व्यवस्था को बनाए रखने के लिए उत्तरदायी होती है। इसका कार्य है आपसी विवादों का न्यायपूर्ण समाधान और कानून व्यवस्था का पालन सुनिश्चित करना।

5.2 **उद्देश्य**: सामाजिक और पारिवारिक स्थिरता, संतुलन, और समाधान

5.2.1. **सामाजिक और पारिवारिक स्थिरता**: परिवार मूलक स्वराज्य व्यवस्था का प्रमुख उद्देश्य समाज और परिवारों में स्थिरता स्थापित करना है। वर्तमान समय में व्यक्तिवादी मानसिकता, पारिवारिक टूटन, और असमानता जैसी समस्याएँ सामाजिक अस्थिरता का कारण बनती हैं। परिवार मूलक स्वराज्य व्यवस्था इन समस्याओं को हल करने के लिए एक संगठित ढांचा प्रदान करती है, जहाँ परिवारों के आपसी संबंध, संवाद, और सामूहिक निर्णय प्रक्रिया के माध्यम से सामाजिक स्थिरता कायम की जा सकती है।

5.2.2. **संतुलन**: समाज और परिवार के बीच संतुलन आर्थिक, सामाजिक, और सांस्कृतिक गतिविधियों में पारिवारिक और सामुदायिक भागीदारी के माध्यम से स्थापित किया जाता है।

5.2.3**. समाधान**: यह व्यवस्था परिवारों को अपने निर्णय खुद लेने और अपनी समस्याओं का हल निकालने की स्वतंत्रता देती है। परिवार सभा, ग्राम सभा, और समितियों की कार्यप्रणाली के माध्यम से समाज में उत्पन्न समस्याओं का सामूहिक समाधान किया जाता है, जिससे व्यक्तिगत और सामुदायिक हितों की रक्षा होती है। समाज की समस्याओं का समाधान परिवार मूलक स्वराज्य के माध्यम से किया जा सकता है जिससे सामाजिक स्थिरता और समृद्धि प्राप्त की जा सकती है।

5.**3 समग्र सामाजिक और पारिवारिक प्रभाव**: परिवार मूलक स्वराज्य व्यवस्था का उद्देश्य न केवल परिवार को स्वायत्त और सशक्त बनाना है, बल्कि समाज को भी एक संगठित ढांचे में ढालना है, जहाँ हर व्यक्ति और परिवार के हितों की रक्षा हो सके। परिवार मूलक स्वराज्य के सकारात्मक प्रभाव समाज और पारिवारिक जीवन दोनों में देखे जा सकते हैं।

5.3.1. **सामाजिक जीवन पर प्रभाव**:परिवार मूलक स्वराज्य व्यवस्था सामाजिक जीवन में स्थिरता और शांति स्थापित करने में सहायक होती है। जब परिवारों के बीच संवाद, सहयोग, और सहभागिता का माहौल होता है, तो समाज में आपसी संबंधों में भी मजबूती आती है।

(i) **सामाजिक एकता और सहयोग**: परिवारों के बीच बेहतर संवाद और सहयोग से सामाजिक एकता को प्रोत्साहन मिलता है।

(ii) **समानता और न्याय**: परिवार मूलक स्वराज्य व्यवस्था में निर्णय प्रक्रिया और न्याय प्रणाली पारिवारिक सभा और ग्राम सभा के माध्यम से संचालित होती है। यह व्यवस्था सभी को न्यायपूर्ण और समान अवसर प्रदान करती है।

(iii) **सामाजिक स्थिरता:** परिवारों के भीतर और उनके समूहों में समन्वय और सामंजस्य की भावना होने से समाज में शांति और स्थिरता बनी रहती है। यह व्यवस्था समाज में असमानता, असंतोष, और संघर्ष की स्थितियों को कम करती है, जिससे सामाजिक संरचना अधिक मजबूत और स्थिर हो जाती है।

5.3.2**. पारिवारिक जीवन पर प्रभाव**: परिवार मूलक स्वराज्य व्यवस्था पारिवारिक जीवन के विभिन्न पहलुओं को सशक्त बनाने में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है।

(i) **रिश्तों की पहचान और मूल्य का निर्वाह:** परिवार के सदस्यों के बीच संबंधों की पहचान और उनके महत्व को समझने से आपसी रिश्ते मजबूत होते हैं। परिवार सभा में संवाद और सर्वसम्मति की प्रक्रिया से पारिवारिक विवादों का समाधान न्यायपूर्ण ढंग से हो सकता है।

(ii) **निर्णय प्रक्रिया में सहभागिता**: परिवार सभा में परिवार के सभी सदस्यों को निर्णय प्रक्रिया में भाग लेने का अवसर मिलता है, जिससे वे अपनी समस्याओं और आवश्यकताओं को खुलकर व्यक्त कर सकते हैं। इससे पारिवारिक समस्याओं का समाधान सामूहिक रूप से किया जा सकता है।

(iii) **समृद्धि और स्वावलंबन**: परिवार मूलक स्वराज्य व्यवस्था परिवार को आर्थिक और सामाजिक रूप से आत्मनिर्भर बनाने में मदद करती है। इसके तहत उत्पादन, विनिमय और स्वास्थ्य सेवाओं का प्रबंधन स्थानीय स्तर पर किया जाता है, जिससे परिवारों को आत्मनिर्भरता और समृद्धि प्राप्त होती है।

स्थिरता:परिवार सभा और ग्राम सभा के माध्यम से निर्णय प्रक्रिया, न्याय, और समस्याओं का समाधान संवाद और सर्वसम्मति के आधार पर किया जाता है, जिससे समाज और परिवारों में स्थिरता कायम होती है।

संतुलन: परिवार आधारित व्यवस्था में प्रत्येक व्यक्ति और परिवार को समान रूप से योगदान करने और अपनी भूमिका निभाने का अवसर मिलता है, जिससे समाज में आर्थिक, सामाजिक और सांस्कृतिक संतुलन बना रहता है।

समाधान:परिवारों के बीच सहयोग, संवाद और समन्वय से आपसी समस्याओं का समाधान सामूहिक रूप से किया जाता है। इससे पारिवारिक तनाव, विवाद और असमानता जैसी समस्याओं का प्रभावी समाधान हो सकता है।

6. मूल्यांकन और परिणाम (Evaluation and Outcomes)

6.1 व्यावहारिक मूल्यांकन:

(i) **स्थानीय स्वायत्तता**: स्थानीय स्तर पर निर्णय लेने की स्वतंत्रता परिवारों को सशक्त बनाती है और अपनी समस्याओं का समाधान करने की क्षमता देती है।

(ii) **संसाधनों का स्थानीय उपयोग**: संसाधनों का प्रबंधन परिवार और गाँव स्तर पर किया जाता है, जिससे उन्हें आर्थिक और सामाजिक रूप से आत्मनिर्भर बनने का अवसर मिलता है।

(iii) **सर्वसम्मति आधारित निर्णय प्रक्रिया**: परिवार सभा और ग्राम सभा में निर्णय प्रक्रिया सर्वसम्मति पर आधारित होने से न्याय और समानता सुनिश्चित होती है जो शांति और स्थिरता बनाए रखने में सहायक है।

6.2 सिद्धांतात्मक मूल्यांकन:

(i) **सहअस्तित्ववादी मानसिकता**: परिवार मूलक स्वराज्य व्यवस्था सहअस्तित्ववाद के सिद्धांतों पर आधारित है, जहाँ प्रत्येक व्यक्ति और परिवार को अपने अस्तित्व और योगदान का मूल्य समझने का अवसर मिलता है।

(ii) **मानव-मानव और मानव-प्रकृति संबंध**: इस व्यवस्था में मानव-मानव और मानव-प्रकृति के संबंधों को सशक्त बनाने से सामाजिक संतुलन और समरसता कायम होती है।

(iii) **न्याय और सुरक्षा**: न्याय-सुरक्षा समिति के माध्यम से समाज में न्याय की प्रक्रिया को संचालित करने से समाज में न्यायपूर्ण वातावरण बनता है, लोग सुरक्षित महसूस करते हैं।

6.3 परिणाम (Outcomes)

परिवार मूलक स्वराज्य व्यवस्था का सफल क्रियान्वयन समाज और परिवारों में सकारात्मक परिणाम ला सकता है:

(i) **सामाजिक स्थिरता और शांति**: संवाद और सर्वसम्मति पर आधारित निर्णय प्रक्रिया से समाज में स्थिरता और शांति स्थापित होती है।

(ii) **पारिवारिक सशक्तिकरण**: परिवार आधारित व्यवस्था परिवारों को सशक्त बनाने से समस्याओं का समाधान स्वयं कर सकते हैं।

(iii) **समृद्धि और स्वावलंबन**: आर्थिक, सामाजिक और सांस्कृतिक गतिविधियों का स्थानीय स्तर पर प्रबंधन से समाज और परिवारों को आत्मनिर्भरता प्राप्त होती है।

(iv) **समानता और न्याय:** परिवार सभा और ग्राम सभा द्वारा न्याय और समानता की प्रक्रिया को सुनिश्चित होने से समाज में भेदभाव और अन्याय समाप्त होता है।

7. **शोध के निष्कर्ष (Conclusions of the Research)**

परिवार मूलक स्वराज्य व्यवस्था समाज में समृद्धि, संतुलन और समाधान लाने की प्रभावी प्रणाली है। यह व्यवस्था मानव-मानव और मानव-प्रकृति के बीच एक संतुलित और न्यायपूर्ण व्यवस्था का निर्माण करती है।

परिवार को समाज की मूल इकाई के रूप में पहचानकर निर्णय लेने की प्रक्रिया में सहभागिता से परिवार और समाज में समरसता, स्थिरता और आत्मनिर्भरता को प्रोत्साहन मिलता है।

(i) **समृद्धि:** परिवार आधारित स्वराज्य व्यवस्था स्थानीय स्तर पर संसाधनों का उपयोग और उत्पादन करने से ग्रामीण और शहरी समुदायों में आर्थिक समृद्धि होती है जिससे परिवारों को आत्मनिर्भर बनने का अवसर मिलता है।

(ii) **संतुलन:** इस व्यवस्था में परिवार सभा और ग्राम सभा के माध्यम से पारिवारिक और सामाजिक स्तर पर संतुलन और समन्वय होने से समाज में स्थिरता आती है।

(iii) **समाधान**: न्याय-सुरक्षा प्रणाली स्थानीय समस्याओं का त्वरित समाधान सुनिश्चित करती है।

इस प्रकार व्यावहारिक लाभ के रुप में सामाजिक एकता और सहयोग, समानता और न्याय तथा स्थिरता और सुरक्षा सुनिश्चित होती है ।

8. **भविष्य के शोध की संभावनाएं और सुधार के सुझाव** (Future Research Possibilities and Suggestions for Improvement)

परिवार मूलक स्वराज्य व्यवस्था के विभिन्न पहलुओं पर और अधिक गहन शोध की आवश्यकता है, ताकि इसे और अधिक प्रभावी बनाया जा सके । इस हेतु भविष्य में निम्नलिखित क्षेत्रों में शोध संभावनाएं हैं:

(i) **पारिवारिक न्याय प्रणाली में सुधार**: पारिवारिक सभा, ग्राम सभा में न्यायिक निर्णय लेने की प्रक्रिया में पारदर्शिता और समग्रता सुनिश्चित करने के लिए शोध किया जा सकता है।

(ii) **परिवार आधारित शिक्षा प्रणाली**: परिवार के भीतर शिक्षा और संस्कार देने के तरीकों पर शोध किया जा सकता है, जिससे नई पीढ़ी में नैतिकता, समर्पण और सामाजिक उत्तरदायित्व की भावना का विकास हो सके।

(iii) **समावेशी आर्थिक मॉडल**: इस व्यवस्था के अंतर्गत उत्पादन और विनिमय प्रणाली को और अधिक समावेशी और सशक्त बनाने के लिए शोध की आवश्यकता है, जिससे ग्रामीण और शहरी दोनों क्षेत्रों में आर्थिक विकास सुनिश्चित हो सके।

(iv) **तकनीकी एकीकरण**: स्वराज्य व्यवस्था में नई तकनीकों का एकीकरण करने पर शोध किया जा सकता है। इससे उत्पादन और संसाधन प्रबंधन अधिक कुशल और टिकाऊ बन सकते हैं।

(v) **विभिन्न सामाजिक और सांस्कृतिक संदर्भों में कार्यान्वयन**: विभिन्न क्षेत्रों और संस्कृतियों में परिवार मूलक स्वराज्य व्यवस्था को कैसे लागू किया जा सकता है, इस पर शोध करने से इसके कार्यान्वयन के संभावनाओं और चुनौतियों को बेहतर तरीके से समझा जा सकता है।

संभावनाएँ और चुनौतियाँ

संभावनाएँ-

- यह व्यवस्था ग्राम स्वराज और स्थानीय आत्मनिर्भरता का जीवंत मॉडल प्रस्तुत करती है।
- परिवार के स्तर पर शिक्षा, स्वास्थ्य, न्याय और उत्पादन की भागीदारी से विकेंद्रीकृत समाज व्यवस्था संभव है।
- इससे मूल्य आधारित लोकतंत्र और सतत विकास की संकल्पना साकार हो सकती है।

चुनौतियाँ-

- औद्योगिक और पूंजीवादी जीवन शैली इस पारिवारिक मॉडल से विपरीत दिशा में कार्य करती है।
- वर्तमान शिक्षा प्रणाली में मूल्य बोध व चेतना विकास की कमी है।
- राजनीतिक संरचनाएं चुनाव और सत्ता आधारित हैं, जबकि यह व्यवस्था कर्तव्य और सहभागिता आधारित है – जिसके लिए मानसिकता परिवर्तन आवश्यक है।

9. सुझाव और सिफारिशें (Suggestions and Recommendations)

(i) **शिक्षा प्रणाली में समावेशन**: परिवार मूलक स्वराज्य व्यवस्था को शिक्षा प्रणाली का हिस्सा बनाते हुये प्राथमिक से उच्च शिक्षा तक पाठ्यक्रम में शामिल कर छात्रों को न्याय, संतुलन, और स्वराज्य की अवधारणा से अवगत कराया जा सकता है।

(ii) **नीति निर्धारण में स्थान:** इस व्यवस्था को सरकारी नीतियों और योजनाओं में प्रमुखता देते हुये ग्राम पंचायत, शहरी विकास समितियों और सामाजिक सुरक्षा योजनाओं में शामिल कर समृद्धि और संतुलन लाया जा सकता है।

(iii) **स्वराज्य समितियों का गठन**: परिवार सभा और ग्राम सभा के स्तर पर स्वराज्य समितियों का गठन कर उनके कर्तव्यों और दायित्वों को परिभाषित किया जाना चाहिए। इन समितियों को सक्रिय रूप से कार्यान्वित करने के लिए प्रशासनिक सहयोग आवश्यक है।

(iv) **स्थानीय समुदायों का सशक्तिकरण**: स्वराज्य व्यवस्था में स्थानीय समुदायों को अधिक सशक्त बनाने के लिए उन्हें स्वायत्तता और निर्णय लेने की क्षमता प्रदान की जानी चाहिए। इसके लिए ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों में परिवारों को संगठित करने की दिशा में सरकार और गैर-सरकारी संगठनों का सहयोग प्राप्त किया जा सकता है।

(v) **स्थानीय स्वावलंबन और उत्पादन**: स्थानीय स्तर पर उत्पादन और संसाधन प्रबंधन की व्यवस्था को संगठित करके स्थानीय बाजारों और विनिमय प्रणाली को अधिक सशक्त और पारदर्शी बनाये जा सकते हैं।

निष्कर्ष:

मध्यस्थ दर्शन का परिवार मूलक स्वराज्य मॉडल मनुष्य, समाज और प्रकृति के सह-अस्तित्व की वास्तविक जीवन दृष्टि प्रस्तुत करता है। यह व्यवहार में लाया जा सकने वाला ऐसा मॉडल है जिसे अनेक गांवों और समुदायों में आंशिक रूप से अपनाया गया है।

यह व्यवस्था एक नव-मानव व्यवस्था है – जिसमें संवाद, समाधान, सहभागिता और सह-अस्तित्व का चार-स्तंभीय ढाँचा समाज को स्थायित्व, न्याय और समृद्धि की ओर ले जाता है।

मध्यस्थ दर्शन की यह दृष्टि उस वैकल्पिक व्यवस्था की खोज को पूर्ण करती है जिसकी प्रतीक्षा मानवता सदियों से कर रही है – एक ऐसी व्यवस्था जिसमें मनुष्य, मनुष्य का विरोधी नहीं, सहचर बनता है। और इसका आधार है – परिवार, न कि सत्ता।

परिवार आधारित स्वराज्य व्यवस्था एक न्यायपूर्ण, संतुलित और समृद्ध समाज का निर्माण करने की दिशा में एक ठोस कदम है। शिक्षा और नीति निर्धारण में इस व्यवस्था को शामिल कर समाज में स्थिरता, संतुलन और समाधान लाया जा सकता है।

संदर्भ ग्रंथ सूची :-

1. मानव व्यवहार दर्शन, ए नागराज, जीवन विद्या प्रकाशन, अमरकंटक, 2015
2. मानव अभ्यास दर्शन, ए नागराज जीवन, विद्या प्रकाशन अमरकंटक, 2018
3. व्यवहारात्मक जनवाद, ए नागराज, जीवन विद्या प्रकाशन अमरकंटक, 2017
4. समाधानात्मक भौतिकवाद, ए नागराज, जीवन विद्या प्रकाशन अमरकंटक, 2009
5. मानव व्यवहारवादी समाजशास्त्र, ए नागराज, जीवन विद्या प्रकाशन अमरकंटक, 2009
6. मानव संचेतनावादी मनोविज्ञान, ए नागराज, जीवन विद्या प्रकाशन अमरकंटक, 2008
7. आवर्तनशील अर्थशास्त्र, ए नागराज, जीवन विद्या प्रकाशन अमरकंटक, 2009

8. मानवीय संविधान सूत्र व्याख्या ए नागराज, जीवन विद्या प्रकाशन अमरकंटक, 2007
9. नागराज ए, परिभाषा संहिता, ((2016, जीवन विद्या प्रकाशन अमरकंटक,
10. विकिपीडिया :मध्यस्थ दर्शन
11. डॉ .सुरेन्द्र पाठक) 2020 .(मध्यस्थ दर्शन और मानव जीवन व्यवस्था पर व्यावहारिक अध्ययन।

* शोध विधार्थी, दर्शन और धर्मिक अध्ययन स्कूल, एल जे विश्वविद्यालय, अहमदाबाद, गुजरात

Email gaurikanta.phd22@ljku.edu.in

gksahu09jv@gmail.com

** सहायक प्राध्यापक, दर्शन और धार्मिक अध्ययन स्कूल, एल जे विश्वविद्यालय, अहमदाबाद, गुजरात

Email sunilchhanwal@gmail.com